प्रकाश बाबू रघुवंशी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

13 सितंबर 2004

[अरिजीत पासायत. और सी. के. ठक्कर. जे.जे.]

आवश्यक वस्तु अधिनियम *1955*—धारा *2(c), 2(cc), 3* और *7*—विचारण न्यायालय द्वारा धारा *7(1)(a)(ii)* सपठित धारा *3* के तहत दोषसिद्ध– उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि– अपील में– अभिनिर्धारित*:* न तो विचारण न्यायालय के समक्ष और ना ही उच्च न्यायालय के समक्ष धारा *3* के तहत आदेश, जिसके उल्लंघन का आरोप लगाया गया था रिकॉर्ड पर लिया गया—यह धारा *7* मध्य प्रदेश सार्वजनिक पूर्ति वितरण योजना, *1991* के तहत आवेदन लाने के लिए आवश्यक था।

अपीलार्थी अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम**, 1995** की धारा **3** सपठित धारा **7(1)(a)(ii)** के संदर्भ में अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि किए जाने पर वर्तमान अपील दायर की गई।

अपीलार्थी का तर्क है कि अधिनियम की धारा **7** को आकर्षित करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह थी कि किसी आदेश का उल्लंघन होना

चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया कि अभियोजन मध्य प्रदेश सार्वजनिक पूर्ति वितरण योजना, **1991** के उल्लंघन के लिए था, और चूंकि योजना अधिनियम की धारा **3** के तहत एक आदेश की श्रेणी में नहीं आती इसलिए इसकी धारा **7** को आकर्षित नहीं करती। प्रत्यार्थी राज्य का तर्क है कि यह है विषय अधिनस्थ न्यायालयों के समक्ष नहीं उठाया गया था इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके लिए तथ्यात्मक न्यायनिर्णय की आवश्यकता है।

अपील का निस्तारण करते हुए मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया:

1.1 यद्यपि राज्य सरकार द्वारा दिए गए तर्क में सार है, फिर भी अधिनियम की धारा **7** के तहत आवेदन लाने के लिए यह आवश्यक है की वह आदेश, जिसके उल्लंघन का आरोप है. दुर्भाग्यवश न तो विचारण न्यायालय के समक्ष और न हीं उच्च न्यायालय के सम, वह आदेश जिसके उल्लंघन का आरोप है प्रस्तुत करने का कोई प्रयास किया गया।

[391-H; 392-A]

मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ सोसाइटी और अन्य. बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, *[1981]* 4 SCC 535, पर भरोसा किया गया।

2. प्रकरण को नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है. पक्षकारों को अपने-अपने पक्ष के समर्थन में तथ्य

प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी। यह राज्य का दायित्व होगा की वह सामग्री दाखिल करे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि किस 'आदेश' का उल्लंघन किया गया था। **[392-E]**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1011 वर्ष 2004

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.2003 से जो कि आपराधिक अपील क्रमांक 455 वर्ष 1997 में पारित किया गया।

अपीलार्थी की ओर से — एस. बी. उपाध्याय और सुश्री कुमुद लता दास।

प्रत्यर्थी की ओर से — विश्वजीत सिंह और सुश्री विभा दत्ता मखीजा।

न्यायाधीश जिनके द्वारा निर्णय किया गया

अरिजीत पासायत, जे.

अनुमति प्रदान की गई।

अपील में एक दिलचस्प मुद्दा उठाया गया है जिसे दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है की अधिनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। अपीलार्थी को धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम सपठित धारा 7(1)(a)(ii) आवश्यक वस्तु अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम')। उसे विद्वान सत्र

न्यायाधीश विदिशा द्वारा अपराध के लिए सेशन प्रकरण संख्या 11 वर्ष 1996 में दोषसिद्ध कर एक वर्ष के कठोर कारावास और ₹20,000 अर्थ दंड के रूप में लगाया गया, जिसकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ग्वालियर पीठ द्वारा प्रश्नगत निर्णय के द्वारा पुष्टि की गई।

श्री एस.बी. उपाध्याय, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 7 को आकर्षित करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिस आदेश पर भरोसा किया है उसका उल्लंघन होना चाहिए। अभियोजन द्वारा मध्य प्रदेश सार्वजनिक पूर्ति वितरण योजना, 1991 (संक्षेप में 'योजना) पर भरोसा किया है। उनके अनुसार योजना, जैसा कि अधिनियम में आवश्यक है, को आदेश के बराबर नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ, प्रत्यार्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि ऐसा निवेदन अधिनस्थ न्यायालयों के समक्ष नहीं किया गया है तथा यह तर्क दिया गया है की क्योंकि इसे विचारण न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष उजागर नहीं किया गया है, इसके लिए तथ्यात्मक न्यायनिर्णय की आवश्यकता है।

हालांकि प्रत्यार्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में सार है यद्यपि अधिनियम की धारा 7 को आकर्षित करने के लिए यह अतिआवश्यक है की वह आदेश ,जिसके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है दुर्भाग्यवश न तो विचारण न्यायालय के समक्ष, ना ही उच्च न्यायालय के

समक्ष रिकॉर्ड पर ऐसा आदेश प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मध्यप्रदेश राशन वितरण संघ समिति व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य [1981] 4 SCC 535 में यह अभिनिर्धारीत किया गया कि इस प्रकार की योजना भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 162 के तहत तैयार की गई है। ऐसा होने पर यह आवश्यक था कि अभियोजन पक्ष द्वारा उस "आदेश" को रिकॉर्ड पर लाया जाए जो की अभियुक्त अपीलर्थी के खिलाफ कार्रवाई करने का आधार था।

धारा 7 धारा 3 के तहत किए गए किसी भी आदेश, के उल्लंघन को संदर्भित करती है। धारा 7 को लागू करने के लिए यह दर्शाना आवश्यक है की धारा 3 के तहत कुछ आदेश दिया गया है और उस आदेश का उल्लंघन किया गया। धारा 3 उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियों से संबंधित है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग "आदेश" के द्वारा किया जा सकता है। धारा 2(c) के अनुसार "अधिसूचित आदेश" का अर्थ है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आदेश और धारा (cc) में प्रावधान है कि "आदेश" में उनके द्वारा जारी किया गया निर्देश शामिल है।

इन परिस्थितियों में गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम प्रकरण को नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हैं। पक्षकारों को उनके पक्ष के समर्थन में सामग्री रखने की अनुमति दी जाएगी। यह राज्य का दायित्व होगा की वह सामग्री दाखिल करे जिसमे

यह दर्शाया गया हो कि किस "आदेश" का उल्लंघन किया गया था। यदि विचाराधीन दस्तावेज को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है की इस मुद्दे के संदर्भ में जांच किए जाने के पश्चात आवश्यक निर्णय दिया जाएगा।

हमें अवगत करवाया गया है कि अभियुक्त अपीलर्थी लगभग 4 माह से हिरासत में है। इस न्यायालय द्वारा दिया गया जमानत का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा नया न्यायनिर्णाय दिए जाने तक प्रभावी रहेगा।

हम इस निर्देश के द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे द्वारा उसके दोषी होने या अन्यथा के संबंध में कोई राय नहीं दी गई है।

एतद्वारा अपील का निस्तारण किया जाता है।

वी.एस.एस.

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता जितेन्द्रसिंह जोधा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।